न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 203 / 2019

शुभम हाउसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लि0
शाखा कार्यालयः— 711 / 4, प्रथम तल, के0सी0 कॉम्प्लैक्स, दौलत बाग के सामने,
अजमेर (राज0)—305001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी .....प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

(1) श्री पप्पू पुत्र श्री मौहम्मद,
   (अ) हताई के पास, छोटी बस्ती, अजयसर, अजमेर (राज0)—305001
   (ब) ग्राम व पोस्ट—अजयसर, ग्राम पंचायत अजयसर, पंचायत समिति श्रीनगर, तहसील व जिला अजमेर (राज.)
(2) श्रीमती सम्पति पत्नि श्री पप्पू
   (अ) हताई के पास, छोटी बस्ती, अजयसर, अजमेर (राज0)—305001
   (ब) ग्राम व पोस्ट—अजयसर, ग्राम पंचायत अजयसर, पंचायत समिति श्रीनगर, तहसील व जिला अजमेर (राज.)

.....अप्रार्थीगण / ऋणी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :— श्री संजय सिंह राजावत अभिभाषक प्रार्थी

आदेश **दिनांक 26.11.2019**

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण श्री पप्पू पुत्र श्री मौहम्मद एवं श्रीमती सम्पति पत्नि श्री पप्पू, निवासीः— हताई के पास, छोटी बस्ती, अजयसर, अजमेर (राज0)—305001 को दिनांक 30.01.2015 को रूपये 5,00,000 / —(अक्षरे पांच लाख मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण / ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर ग्राम व पोस्ट अजयसर, ग्राम पंचायत अजयसर, पंचायत समिति श्रीनगर, तहसील व जिला अजमेर (राज0) में स्थित बंधक सम्पति, जो श्री पप्पू पुत्र श्री मौहम्मद एवं श्रीमती सम्पति पत्नि श्री पप्पू के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाएँ हैः— पूर्व मेंः—श्रीमती रिमी पत्नि श्री हनुमान की सम्पत्ति, पश्चिम मेंः—आम रास्ता, उत्तर मेंः—श्री छीतर की सम्पत्ति, दक्षिण में— आम रास्ता, को बतौर जमानत प्रार्थी कम्पनी के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 14.03.2018 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण / ऋणी को दिनांक 16.03.2018 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये 4,44,772 / —(अक्षरे चार लाख चवालीस हजार सात सौ बेहत्तर रूपये) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी कम्पनी को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी कम्पनी को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी कम्पनी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में ग्राम व पोस्ट अजयसर, ग्राम पंचायत अजयसर, पंचायत समिति श्रीनगर, तहसील व जिला अजमेर (राज0) में स्थित बंधक सम्पति, जो श्री पप्पू पुत्र श्री मौहम्मद एवं श्रीमती सम्पति पत्नि श्री पप्पू के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाएँ हैः- पूर्व मेंः-श्रीमती रिमी पत्नि श्री हनुमान की सम्पत्ति, पश्चिम मेंः-आम रास्ता, उत्तर मेंः-श्री छीतर की सम्पत्ति, दक्षिण में- आम रास्ता, का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी कम्पनी, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 26.11.2019 को सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

Scanned by CamScanner